(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 730–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–2–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 386/2012–13/अपील.

गोवर्धनलाल पिता रतनलाल धाकड़
निवासी ग्राम कारोदा
तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– कैलाश पिता रतनलाल धाकड़
निवासी ग्राम कारोदा
तहसील बदनावर जिला धार
हाल मु. भाटपचलाना
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

2– रतनलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ मृत तर्फे
(अ) श्रीमती गीताबाई पति स्व. रतनलाल धाकड़
निवासी ग्राम कारोदा
तहसील बदनावर जिला धार
(ब) श्रीमती सावित्रीबाई पिता स्व. रतनलाल धाकड़
पति बिहारी निवासी ग्राम चापाखेड़ा
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन
(स) श्रीमती शामुबाई पिता स्व. रतनलाल धाकड़
पति रामलाल निवासी ग्राम बेडावन
तहसील नागदा जिला उज्जैन
(द) श्रीमती कंचनबाई पिता स्व. रतनलाल धाकड़
पति घनश्याम निवासी ग्राम बेडावन
तहसील नागदा जिला उज्जैन

3– कन्हैयालाल पिता रतनलाल धाकड़

4– दुर्लभराम पिता रतनलाल धाकड

5– सुन्दरलाल पिता रतनलाल धाकड
निवासीगण ग्राम कारोदा
तहसील बदनावर जिला धार

6– प्रकाश पिता रतनलाल धाकड
निवासी ग्राम कारोदा
तहसील बदनावर जिला धार
हाल मु. ग्राम सागोद तहसील व जिला रतलाम .....अनावेदकगण

श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1, 2(स)(द), 6
श्री विजय इसरारे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2(अ)(ब) एवं 3 से 5

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 कैलाश द्वारा नायब तहसीलदार, बदनावार के नामांतरण पंजी कमांक 33 में पारित आदेश दिनांक 14–9–10 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर जिला धार के समक्ष दिनांक 17–1–12 को प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17/अपील/2011–12 दर्ज कर दिनांक 19–2–2013 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–2–2017 को आदेश पारित कर अनुबिभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विस्तृत उल्लेख करते हुए विधिसंगत निष्कर्ष निकालते हुए अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई है, अपर आयुक्त द्वारा समयावधि के बिन्दु के संबंध में कोई अभिमत दिये

बिना एवं बिना विश्लेषण किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 को नामांतरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 14–9–10 की जानकारी प्रारंभ से रही है, किन्तु इसके विपरीत उनके द्वारा आदेश की जानकारी का दिनांक 25–11–2011 दर्शाया गया है, जो कि असत्य अभिवचन किया गया है तथापि उसके द्वारा अपील निर्धारित वैधानिक समयावधि अनावेदक कमांक 1 की जानकारी दिनांक 25–11–2011 से 30 दिवस में प्रस्तुत की जाना थी । इसके अतिरिक्त विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था, जो कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नहीं दिया गया है । अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है ।

(4) संहिता की धारा 178 के अनुसार खातेदार अपने विधिक वारिसों में स्वयं के लिए कुछ हिस्सा/अंश रखकर स्वेच्छा अनुसार बटवारा किये जाने के लिए अनुमत है । उसके उपरांत भी संहिता की उक्त धारा का गलत निर्वचन करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की गई है ।

(5) स्वत्व संबंधी कोई विवाद होने पर उसके निराकरण करने का एकाधिकार एकमेव रूप से व्यवहार न्यायालय को रहता है, इसके विपरीत अपर आयुक्त द्वारा उक्त स्थिति अभिलेख पर होने उपरांत भी अनावेदक कमांक 1 का स्वत्व निर्धारण कर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक कमांक 1, 2(स) (द), 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई थी, जबकि संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि नामांतरण पंजी पर सहमति से भी विजाजन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा बिना समस्त हितबद्ध

वारिसों को कोई सूचना दिये नामांतरण पंजी पर पारित अधिकारिता रहित अवैध बटवारा आदेश किसी भी प्रकम पर आक्षेपित किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 1995 आर.एन. 27, 2005 आर.एन. 184 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी के पंचनामें में रतनलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ के उल्लेखित पक्षकारों को ही उनका वारिस बताया जाकर, अन्य कोई वारिस नहीं होना उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना विधिवत जांच किये, बिना संहिता में दिये गये बटवारा नियमों का पालन किये, अवैध आदेश पारित किया गया था, जिसे यथावत रखने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की थी, जिसे निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 (क) के प्रावधानों पर पूर्ण विचार कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है । वर्तमान प्रकरण में मूल भूमिस्वामी द्वारा संहिता की धारा 178 (क) के अंतर्गत तहसील न्यायालय में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है और न ही तहसील न्यायालय द्वारा विधिक वारिसों की कोई सुनवाई की गई है । ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने में विधि की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस तर्क के समर्थन में 1994 आर.एन. 302 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(4) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसील न्यायालय द्वारा पारित अवैध, अधिकारिता रहित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की थी, जिससे द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 49(3) के संशोधन अनुसार तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अवैध अधिकारिता रहित आदेश को निरस्त किये जाने में विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कानून से कोई आवश्यकता नहीं है । इस तर्क के समर्थन में 1980 आर.एन. 505, 2014 आर.एन. 346 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 (अ) (ब) एवं 3 लगायत 5 के अभिभाषक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी का

अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 कैलाश की अनुपस्थिति में नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह तो माना गया है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 को जानकारी नहीं थी लेकिन आदेश में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए अपील को इस आधार पर समय बाह्य माना गया है कि अनावेदक कमांक 1 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 5–12–11 को प्राप्त हो चुकी थी, अतः उक्त दिनांक से 30 दिन की समयावधि में अपील दिनांक 4–1–12 तक प्रस्तुत करना चाहिए थी लेकिन अनावेदक कमांक 1 द्वारा दिनांक 17–1–12 को प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता में पुराने प्रावधान के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा 45 दिन थी । संहिता मे दिनांक 31–12–11 को हुए संशोधन के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 30 दिन की गई है, लेकिन उसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया था । स्पष्टतः दिनांक 5–12–11 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलते समय प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा 45 दिन थी, वही लागू होगा, इसलिए अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थिति की अनदेखी कर आदेश पारित अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त को प्रथमः समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण करना चाहिए था लेकिन उन्होंने गुण–दोष पर भी निर्णय लिया है । स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समय–सीमा में थी तो प्रथमतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ही उसका गुण–दोष पर निराकरण करना श्रेयस्कर होगा । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोष के आधार पर अपील का निराकरण करने के लिए प्रत्यावर्तित किया जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2017, अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर जिला धार द्वारा पारित

आदेश दिनांक 19–2–2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर